

बुंदेलखंड में धसान नदी, केन नदी, यमुना नदी, बेतवा तथा चंद्रावल आदि नदियों में बिना किसी अनुमति अवैध खनन कर, नदियों की जलधारा रोककर, बाँध-पुल बनाकर बालू तथा मोरम से भरे हुए ट्रक निकाले जा रहे हैं। इससे एक तरफ जहाँ पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि पूरे देश की नदियों में अवैध रूप से बाँध, पुल बनाकर मोरम, गिट्टी तथा पत्थर का अवैध रूप से होने वाले खनन पर रोक लगाने हेतु सरकार अविलम्ब कदम उठाए, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**श्री सभापति:** यह विशम्भर जी की गलती नहीं है। नॉर्मली स्पेशल मेशन शाम को होता है, उस समय उपसभापति या पैनल चेयरमैन बैठते हैं। आज के ज़माने में ज़ीरो आवर टाइम पर हो रहा है, समय बचता है तो फिर स्पेशल मेशन भी ले रहे हैं। नयी स्थिति को समझने में और आदत बदलने में थोड़ा समय लगेगा। डा. विकास महात्मे।

#### **Demand for assistance to widows of farmers committing suicide in Maharashtra**

**डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र):** सभापति महोदय, मैं विधवा किसान महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बारे में बताना चाहूंगा।

महोदय, मैं महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर आपका ध्यान चाहता हूँ। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या में वृद्धि के साथ ही उनके विधवाओं की संख्या भी बढ़ी है। यदि हम वर्ष 1995-2015 के बीच राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों को देखें, तो लगभग 65,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, जिनमें से 90 परसेंट किसान पुरुष हैं, जो विधवा किसानों की एक बड़ी आबादी को पीछे छोड़ते हैं। परिवार के मुखिया की आत्महत्या के प्रभाव के बाद दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी विधवाओं को छोड़ दिया जाता है। साथ ही, उन्हें अब भावनात्मक या आर्थिक रूप से अपने बच्चों या अपने परिवार पर निर्भर सबका ध्यान रखना होता है। सरकार को इस मुद्दे को ध्यान में लाना चाहिए और पीड़ितों की भलाई के लिए नीतियां बनानी चाहिए। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से इन बहनों और बेटियों की मदद के लिए कुछ योजनाएं बनाने का आग्रह करता हूँ। इन हालात में जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वह होती है ऐसे परिवार के बच्चों की शिक्षा, जिसे सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संपत्ति के शीर्षकों को उनके दिवंगत पति के नाम से उनके नाम पर स्थानांतरित करने में भी बरसों लगते

[डा. विकास महात्मे]

हैं। सरकार से मेरी यह गुजारिश है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी विधवाओं को अन्य संपत्तियों के वितरण में प्राथमिकता मिले और उनकी बेटियों की शादी और एजुकेशन के लिए मौद्रिक सहायता दी जाए।

**श्रीमती विप्लव ठाकुर** (हिमाचल प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करती हूँ।

**श्री हुसैन दलवाई** (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूँ।

DR. AMEE YAJNIK (Gujarat): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

**Demand for subsistence allowance to empower the farmers of the country**

SHRI A. K. SELVARAJ (Tamil Nadu): Sir, despite all our achievements over the decades, it is a sad commentary that farmers in the country continue to suffer year after year. Even today about 70 per cent of the Indian population depend on agriculture and account for 15 per cent of GDP and 50 per cent of the country's employment. More and more farmers are leaving farming and there is growing shortage of workforce in agriculture. We praise professionals like doctors, engineers, lawyers and so on. But whenever we take a morsel of food to our mouth, or sip a cup of tea, we fail to acknowledge the invisible hands of farmers in that food and drink. To help improve the conditions of farmers, the Tamil Nadu Government has been taking consistent initiatives. Tamil Nadu is the first Indian State to enact law on contract farming. But the Union Government has to take measures on war-footing to empower farmers so as to retain them in farming activities. Small farmers are a vulnerable population where social, market and economic pressures are huge, often leading to considerable distress. Indian farmers incur Rs 92,651 crore per year in post-harvest losses, the primary causes of which are poor storage and transportation facilities. Ironically, according to Dalwai Committee report,